<u>बिहार सरकार</u>
<u>खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग</u>

पत्रांक–प्र04 / ख.वि.अधि.–01 / 2014– 8785 खाद्य, पटना / दिनांक– 19.11.14

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः– **विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से खरीफ विपणन मौसम 2014–15 अन्तर्गत धान / चावल की अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश।**

महाशय,

राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2014–15 के लिए **30 लाख मे0टन** धान की अधिप्राप्ति (न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो सांकेतिक है या उतनी मात्रा जिससे यह सुनिश्चित हो कि बाजार दर न्यूनतम समर्थन मूल्य के समतुल्य पर उससे अधिक रहे। अतः आवश्यक है कि इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के लिए विशेष व्यवस्था की जाय ताकि यह सुनिश्चित हो कि क्रय किसानों से हों, व्यापारियों या बिचौलियों से नहीं। धान की अधिप्राप्ति विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के अन्तर्गत की जा रही है जिसके अन्तर्गत **पैक्स, व्यापार मंडल एवं निगम क्रय केन्द्र** पर अधिप्राप्ति किये गये धान का सी0एम0आर0 नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य निगम के द्वारा चिन्हित एवं एकरारनामित मिल पर **<u>एवं पैक्स संचालित</u>** मिल पर तैयार कर सी0एम0आर0 जमा किया जायेगा तथा उक्त सी0एम0आर0 (चावल) का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार के अन्य कल्याणकारी योजनान्तर्गत किया जायेगा। राज्य सरकार ने पूर्व वर्ष की भाँति इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। खरीफ विपणन मौसम 2014–15 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य **धान साधारण 1360 / – रू0** एवं **धान ग्रेड "ए" 1400 / – रू0 प्रति क्वीं0** निर्धारित किया गया है। धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 25.11.14 से 15.04.2015 तक तथा सी0एम0आर0 का कार्यक्रम दिनांक 30.09.15 तक प्रभावी रहेगा।

2. **<u>अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें</u>**

- खरीफ विपणन मौसम 2014–15 अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति पूर्व व्यवस्था के तहत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) योजना के माध्यम से किया जायेगा।
- अधिप्राप्ति किये गये धान का सी0एम0आर0 नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य निगम **<u>एवं पैक्स</u>** द्वारा तैयार कर तथा उसकी गुणवता की जाँच कर उक्त सी0एम0आर0 का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत किया जायेगा।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल ऐजेन्सी नियुक्त किया गया है।
- किसानों से धान का क्रय की कार्रवाई मुख्यतः पैक्स, व्यापार मंडल एवं निगम संचालित क्रय केन्द्र के माध्यम से किया जाना है।
- इस वर्ष पैक्स अधिक प्रभावी रूप में धान अधिप्राप्ति के साथ–साथ पैक्स संचालित मिल पर मिलिंग कार्य करके सी0एम0आर0 निगम के पास जमा करेगी।

- एकरारनामित मिल से प्राप्त अग्रिम सी0एम0आर0 के समानुपातिक अधिप्राप्ति धान को निगम द्वारा मिल को उपलब्ध कराया जायगा।
- वैसे पंचायत जहां के पैक्स किसी कारणवश अधिप्राप्ति हेतु सक्षम नहीं हैं वहाँ के किसानों से सीधे राज्य खाद्य निगम अपने क्रय केन्द्र के माध्यम से धान क्रय करेगा। इस प्रयोजनार्थ राज्य खाद्य निगम प्रत्येक प्रखंड में आवश्यकतानुसार न्यूनतम एक क्रय केन्द्र स्थापित करेगा।
- किसानों को धान के विरूद्ध पैक्स एवं निगम क्रय केन्द्र से R.T.G.S/NEFT अथवा Account Payee cheque के माध्यम से रूप से क्रय के बाद भुगतान किया जायेगा। प्रारंभ में यह व्यवस्था राईस बॉल वाले जिलें (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सासाराम, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, गया एवं नवादा आदि) में प्राथमिकता अनुसार प्रारंभ कर शेष जिलों में कार्यान्वित होगा।
- पूरे राज्य में क्रय किये गये धान की मिलिंग की व्यवस्था बिहार राज्य खाद्य निगम के द्वारा एकरारनामित मिलर से की जायेगी एवं पैक्स एवं व्यापार मंडल के द्वारा 4 लाख मे0टन सी0एम0आर के समतूल्य धान की कुटाई पैक्स/सहकारिता संचालित/निगम द्वारा पंजीकृत मिल के माध्यम से की जायेगी। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा शेष अधिप्राप्त धान मिलिंग हेतु निगम को हस्तगत कराया जायेगा।
- धान अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति का कार्य राज्य खाद्य निगम सरकार के निर्णयानुसार नोडल एजेन्सी के रूप में करती है। धान अधिप्राप्ति में संबद्ध सभी राशि सरकारी राशि है।
- **धान अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति का कार्य भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑन लाईन प्रॉक्युरमेंट सिस्टम (OPMS) के माध्यम से चरणबद्ध रूप से सम्पन्न होगा।**
- राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से अविलम्ब कर ली जाय।

3. <u>लक्ष्य का निर्धारण</u>

इस वर्ष राज्य में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य **30.00** लाख मे0टन रखने का निर्णय लिया गया है, जिसमें विभिन्न एजेन्सियों का लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है:–

	(मे0टन में)
बिहार राज्य खाद्य निगम	6.00 लाख
पैक्स/व्यापार मंडल	24.00 लाख
कुल	30.00 लाख

सम्यक् विचारोपरान्त खरीफ विपणन मौसम 2014–15 अन्तर्गत जिलावार निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य इस पत्र के साथ संलग्न है। आपसे यह भी अपेक्षा है कि इस लक्ष्य को आप अपने स्तर से प्रखण्डवार/पंचायतवार निर्धारित करें ताकि अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त तैयारी ससमय की जा सके। उल्लेखनीय है कि धान अधिप्राप्ति का यह लक्ष्य न्यूनतम है एवं किसी जिला या अभिकरण द्वारा इस लक्ष्य से अधिक भी अधिप्राप्ति की जा सकती है।

4. <u>क्रय केन्द्रों का निर्धारण</u>

खरीफ विपणन मौसम 2014–15 अन्तर्गत किसानों से धान का क्रय मुख्य रूप से पैक्सों द्वारा किया जायेगा, लेकिन प्रत्येक प्रखंड में बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा एक क्रय केन्द्र की स्थापना की जायेगी। मूलरूप से क्रय केन्द्र स्थापित करने की

जिम्मेवारी पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम की है। आप यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में सभी क्रय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं:–

- क्रय केन्द्रों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना का बैनर/दीवार अभिलेखन।
- क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण की व्यवस्था।
- माप तौल यंत्र की व्यवस्था।
- Moisture Meter की व्यवस्था एवं Calibration ।
- पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था।
- माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था।
- पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था।
- केन्द्र के आस–पास पर्याप्त खुले स्थान का होना।
- विहित प्रक्रिया के अनूरूप पंजियों का संधारण।
- किसानों को आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट अथवा Account Payee cheque के माध्यम से अविलम्ब भुगतान हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन।
- प्रत्येक दिन किसानों से प्राप्त किये गये धान को निर्धारित आवश्यकतानुसार बेस गोदाम/अन्य एकरारनामित मिल पर पहुँचाने हेतु परिवहन व्यवस्था।
- **पैक्स एवं निगम क्रय केन्द्र द्वारा प्रतिदिन** किये गये अधिप्राप्ति कार्यों की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी MS-Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखण्ड कम्प्युटर केन्द्र में भेजने की व्यवस्था।
- पैक्स द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों में किसानों की सूची का संधारण।
- पैक्स द्वारा अभियान चलाकर मात्र अधिप्राप्ति हेतु अस्थायी सदस्यों का नामांकन।
- पैक्स एवं निगम क्रय केन्द्र पर धान उपलब्ध कराने वाले सभी कृषको से धान प्राप्ति के उपरान्त प्राप्ति रसीद संबंधित पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में उपर्युक्त तैयारियों के साथ दिनांक 25.11.2014 से निर्धारित धान अधिप्राप्ति/क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाय।

5. भंडारण की व्यवस्था

बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक बाजार समिति प्रांगण में गोदाम/कैप भंडारण की व्यवस्था की जा रही है। पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार जिले में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औधोगिक क्षेत्र के प्रागंण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाउन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम, चयनित मिलर का गोदाम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े–बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर राज्य खाद्य निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामों का किराया संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–गृह नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से निर्धारित कराकर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायी जाय। तदनुसार राज्य खाद्य निगम द्वारा निजी गोदामों के किराये का भुगतान किया जायगा। साथ ही साथ राज्य खाद्य निगम के द्वारा एकरारनामित एवं चयनित मिल जो धान क्रय केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे के गोदाम भी धान भंडारण हेतु प्रयुक्त होगें एवं निगम के धान अधिप्राप्ति क्रियाशील गोदामों पर निम्न व्यवस्था रहेगी:–

- निर्धारित माप दंड के अनुरूप ड्रेनेज मटेरियल की उपलब्धता।
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन/तिरपाल की उपलब्धता।

- निर्धारित माप दंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी (यदि घेराबन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो)।
- कैंप कार्यालय की व्यवस्था।
- पर्याप्त लाईटिंग की व्यवस्था।
- अग्नि शामक यंत्र की व्यवस्था।
- सुरक्षा की व्यवस्था।
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता ।
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण।
- प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में MS-Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखण्ड/अनुमण्डल कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
- बेस गोदाम से मिलिंग हेतु सम्बद्ध मिल एवं राज्य से बाहर भेजने हेतु परिवहन की व्यवस्था।
- खाद्यान्न की भंडारण की सीमित क्षमता को दृष्टिपथ रख खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण हेतु समुचित भंडारण क्षमता के गोदाम के निर्माण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा निकट भविष्य में कई नये निर्मित खाद्यान्न भंडारण गोदाम उपलब्ध होने की प्रबल संभावना है। वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा कैप स्टोरेज हेतु निर्धारित मानक एवं प्रक्रिया का अनुपालन अपेक्षित है, जो निगम मुख्यालय के पत्रांक 1269 दिनांक 6.2.2013 के माध्यम से संसूचित किया गया है।

6. <u>मिलिंग की व्यवस्था</u>

निगम के मिल परिसर स्थित क्रय केन्द्र में अधिप्राप्त धान को एकरारनामित मिलर के माध्यम से मिलिंग कराकर चिन्हित सी0एम0आर0 गोदाम पर अग्रिम सी0एम0आर0 उपलब्ध कराया जायगा तथा पैक्स मिलिंग हेतु (निर्धारित लक्ष्य 4 लाख मे0टन) प्राथमिकतानुसार क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्त धान को प्रथमतः सहकारिता विभाग द्वारा संचालित राईस मिल अथवा पंजिकृत राईस मिलों में मिलिंग कराकर संबद्ध सी0एम0आर0 गोदाम में हस्तगत करायेगें एवं लक्ष्य के अतिरिक्त अधिप्राप्ति धान को राज्य खाद्य निगम को मिलिंग हेतु उपलब्ध करायेंगे। पैक्स द्वारा अधिप्राप्त धान का भुगतान निगम द्वारा सी0एम0आर0 जमा होने के अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर मिलिंग चार्ज एवं अनुमान्य व्यय सहित भुगतान किया जायगा। एकरारनामित मिलर के द्वारा (मिलिंग क्षमता के अनुरूप) जमा अग्रिम सी0एम0आर0 के समानुपातिक अधिप्राप्त धान मिलर को निगम क्रय केन्द्र/बेस गोदाम से उपलब्ध कराया जायेगा। पैक्स के द्वारा जो अधिप्राप्त धान (4 लाख मे0टन के अतिरिक्त) सिधे निगम के क्रय केन्द्र पर जमा होंगे, उसका विपत्र का भुगतान अधिकतम एक सप्ताह निगम द्वारा भुगतान किया जायेगा। जिले में/जिले से बाहर उपलब्ध राईस मिल (राज्य के पड़ोसी जिलों सहित) से सभी पैक्स/क्रय केन्द्रों को टैग कर लिया जाय। कृपया यह पुनः सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्ण कर लिया गया हो। इसके अलावा मिलिंग से संबंधित निम्न कार्रवाई भी सुनिश्चित की जायः--

- वैसे प्रमादी मिलर गत वर्षो में निर्धारित अवधि में सी0एम0आर0 हस्तगत कराने में असफल रहे हैं, वे अवशेष सी0एम0आर0 का समतुल्य राशि निगम खाता में जमा कर देते हैं तो खरीफ विपणन मौसम में अधिप्राप्ति धान की कुटाई हेतु एकरारनामा के पात्र होगें।
- राज्य खाद्य निगम द्वारा मिलरों से एकरारनामा करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि संबंधित मिलर द्वारा अग्रिम सी0एम0आर0 लॉट के विरूद्ध समानुपतिक

अधिप्राप्ति धान से अधिक मात्रा में अगर अधिप्राप्ति धान की आपूर्ति की जाती है तो संबंधित मिल के मिलिंग क्षमता के आलोक में ही निगम मिल द्वारा Bank Guarantee प्राप्त करेगी तथा धान की मात्रा विहित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध करायी जाय ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी/गबन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई/वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

- एकरारनामित मिलों के चयन के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधक एवं जिला में पदस्थापित एवं अधिप्राप्ति कार्य के लिए मनोनित वरीय उपसमाहर्ता द्वारा संयुक्त रूप से पंजिकृत मिलों के भौतिक सत्यापन के क्रम में मिल के मालिक का नाम एवं पता तथा उद्योग विभाग द्वारा मिल के मालिक के नाम में निर्गत अनुज्ञप्ति की अद्यतन स्थिति, अधिष्ठापित उपस्कर के आलोक में दैनिक/मासिक मिलिंग की क्षमता, मिल के सम्प्रति कार्यरत रहने संबंधित प्रमाण पत्र की जाँच एवं मिल परिसर में छतदार भंडारण की क्षमता का व्यवहारिक आकलन कर ली जाय। इस क्रम में विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर छद्म मिल/मिलर तथा गत खरीफ विपणन मौसम में शत–प्रतिशत सी0एम0आर0 नहीं हस्तगत कराने वाले मिल से एकरारनामा नहीं की जाय।
- राज्य खाद्य निगम द्वारा पंजिकृत मिलरों से एकरारनामा करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि संबंधित मिलर द्वारा समर्पित Bank Guarantee के अनुरूप/अनुपात तथा संबंधित मिल के मिलिंग क्षमता के आलोक में अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त होने के प चात अधिप्राप्ति धान की मात्रा विहित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध करायी जाय साथ ही साथ भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी/गबन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई/वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
- उपर्युक्त प्रक्रिया के उपरांत मानक के अनुसार Short Listed किये गये पंजिकृत मिल के मालिकों के साथ जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाय जिसमें सरकार/निगम की अधिप्राप्ति के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मिलरों की भूमिका एवं मिलरों से अपेक्षाओं पर विचार विमर्श हो सके तथा विगत वर्षों में उत्पन्न व्यवधान के निराकरण हेतु समाधान पर भी विचारण हो सके। उक्त बैठक के उपरांत Short Listed मिल के मालिकों से एकरारनामा की जाये।
- प्रत्येक पैक्स को प्रतिदिन यह सूचना उपलब्ध होनी चाहिए कि क्रय किया गया धान किस मात्रा में संबद्ध मिल पर राज्य खाद्य निगम के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के माध्यम से मिल को मुहैया कराना है एवं कितनी मात्रा में राज्य खाद्य निगम द्वारा चिन्हित केन्द्रों पर सूपूर्द करना है।
- सभी संबद्ध पैक्स संचालक को उनके संबद्ध मिल पर प्रतिनियुक्त राज्य खाद्य निगम पदाधिकारी का मोबाईल नं0 अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवा दिया जाय।
- प्रत्येक मिल पर सुचारू रुप से मिलिंग कार्य हेतु यह अनिवार्य है कि जिला एवं राज्य खाद्य निगम के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मिलिंग के समय उपलब्ध हों एवं यह सुनिश्चित करें कि मिलिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग हो रहा हो एवं क्षमता/भंडार से अधिक धान अनावश्यक रूप से वहां नहीं पहुँचाया जाय।
- मिल पर प्रतिनियुक्त जिला के पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि तैयार सी0एम0आर0 को भारत सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप पूर्व से चिन्हित बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में भेजे।
- मिल से बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में सी0एम0आर0 पहुँचाने हेतु पर्याप्त मात्रा में परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- मिल पर जिला एवं राज्य खाद्य निगम से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के लिए कैम्प ऑफिस की व्यवस्था की जाय।

- कैम्प ऑफिस में संघारित होने वाले पंजियों की व्यवस्था एवं प्रत्येक दिन का प्रतिवेदन कम्प्यूटर के MS-Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखण्ड/अनुमण्डल कम्प्यूटर केन्द्र में भेजने की व्यवस्था।
- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया बिहार राज्य खाद्य निगम के पत्रांक 9955 दिनांक 4.11.13 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व में ही भेजी जा चुकी है। दिनांक 2.12.13 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कॉन्फ्रेन्स में भी इसकी विस्तृत समीक्षा की गई है जिसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. धान क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले कागजात

- भूमि सम्बन्धी दस्तावेज–अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/हाल का माल गुजारी रसीद/किसान क्रेडिट कार्ड–(हाल का निर्गत) इनमें से कोई एक। राजस्व रसीद/भूस्वामित्व प्रमाण पत्र की संभावित जालसाजी को रोकने के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के हस्ताक्षर का नमूना निगम क्रय केन्द्र एवं पैक्स क्रय केन्द्र को उपलब्ध कराया जायगा।
- किसानों का फोटोयुक्त पहचान पत्र–मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छाया प्रति/किसान क्रेडिट कार्ड की छाया प्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज–इनमें से कोई एक।
- बटाईदारों के लिए जमीन मालिक का उपर्युक्त भूमि संबंधी दस्तावेज एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र।
- खरीफ विपणन मौसम 2014–15 अन्तर्गत साफ सुथरे एवं सूखे हुए धान जिसकी नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से अधिक न हो, की अधिप्राप्ति की जाय।
- पैक्सों द्वारा क्रय किये गये अधिप्राप्ति धान/सी0एम0आर0 का हस्तांतरण संबद्ध निगम क्रय केन्द्र/सी0एम0आर0गोदाम पर विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र के साथ किया जायेगा।

8. पैक्सों से धान प्राप्त करने हेतु रोस्टर की व्यवस्था

बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों से धान लेने के लिए पैक्सों का रोस्टर तैयार कर लिया जाय ताकि पैक्सों को यह जानकारी रहे कि किस तिथि को उन्हें राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर धान पहुँचाना है। इस व्यवस्था को इस प्रकार लागू किया जाय कि राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगे एवं पैक्स सुगमतापूर्वक बिना कठिनाई के राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र/गोदामों पर धान की सुपूर्दगी कर सके।

9. भुगतान की व्यवस्था

यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी किसानों को क्रय किये गये धान का भुगतान अविलम्ब आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट अथवा Account Payee cheque के माध्यम से संबंधित क्रय केन्द्र पर कर दिया जाय। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जायः–

- राज्य खाद्य निगम के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट अथवा Account Payee cheque के माध्यम से करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का उपलब्ध होना।
- राज्य खाद्य निगम द्वारा इस संबंध में जिले या प्रखण्ड स्तर पर अधिप्राप्ति कार्य हेतु बैंक एकाउन्ट खोलना एवं प्रत्येक क्रय केन्द्र पर आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट अथवा Account Payee cheque के माध्यम से करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का उपलब्ध होना।

- प्रत्येक बैंक एकाउन्ट में निर्धारित माप दंड के अनुरूप पर्याप्त राशि उपलब्ध होना।
- राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक जिला में कॉपरेटिव बैंक में पैक्स द्वारा क्रय किये गये धान का भुगतान एकमुश्त एडवाईस एवं आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट अथवा Account Payee cheque के माध्यम से किया जायेगा।
- पैक्स द्वारा क्रय किये गये धान का भुगतान आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट के माध्यम से किसानों को क्रय के तुरन्त बाद किया जाना।
- पैक्स से क्रय किये गये धान का मूल्य समानुपातिक सी0एम0आर0 प्राप्ति के आधार पर पैक्स से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं विपत्रों की जॉच कर केन्द्रीय सहकारिता बैंक/राज्य सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये चेक पर Your self अंकित करते हुए बैंक एडभाइस जिसमें पैक्सों का नाम, आपूर्ति किये गये धान की मात्रा एवं मूल्य अंकित हो, के साथ अनिवार्य रूप से सात दिनों के अन्दर सहकारिता बैंक को भेजना तथा भुगतान सुनिश्चित करना।
- पैक्स एवं निगम के क्रय केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मी किसान को भुगतान NEFT/RTGS अथवा Account Payee cheque के माध्यम से करेगी।

10. जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था

जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय:–

- जिला स्तर पर धान/चावल अधिप्राप्ति कार्य की अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति की जाय।
- अनुमण्डल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन अपने अनुमण्डल अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन MS-Excel, Kruti Dev 010 में जिला पदाधिकारी को भेजेंगे।
- प्रत्येक प्रखण्ड में अधिप्राप्ति कार्य के नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु जिला से एक वरीय उप समाहर्ता की प्रतिनियुंक्ति की जाय।
- प्रखण्ड वरीय उप समाहर्ता/जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त सक्षम पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार Enforcement Certificate देने हेतु प्राधिकृत किया जाय।

11. अधिप्राप्ति कार्य में जिला पदाधिकारी की भूमिका

- जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अधिप्राप्ति धान की प्राप्ति एवं उसके समानुपातिक मात्रा में सी0एम0आर0 हस्तगत कराने की जिला स्तर पर पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी की होगी।
- क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर वास्तविक किसानों से धान का क्रय को सुनिश्चित करना।
- जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक।
- पैक्स, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रों से प्रतिदिन क्रय से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग को प्रतिवेदन भेजना।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को क्रय केन्द्र की स्थापना, भंडारण एवं परिवहन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं निगम क्रय केन्द्र तथा सी0एम0आर0 भण्डारण गोदाम पर आवश्यकतानुसार अनुभवी एवं आरोप रहित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।

- सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधकों एवं कुछ मुख्य पैक्सों के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करना।
- राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना।

12. **अधिप्राप्ति कार्य में आरक्षी अधीक्षक की भूमिका**

- क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना।

13. **अधिप्राप्ति कार्य में बिहार राज्य खाद्य निगम की भूमिका**

- पैक्स से धान प्राप्त करने हेतु प्रखण्ड स्तर पर आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोलना।
- जहाँ पैक्स कार्यरत नहीं है उन स्थानों पर किसानों से सीधे धान क्रय करने हेतु अधिप्राप्ति धान क्रय केन्द्र खोलना।
- अनुमण्डल / प्रखण्ड स्तर पर आवश्यकतानुसार सी०एम०आर० संग्रह केन्द्र की स्थापना एवं उसे 25.11.2014 से क्रियाशील करना।
- पैक्सों में अधिप्राप्ति धान (4 लाख मे०टन) के विरूद्ध समानुपातिक सी०एम०आर० निगम के सी०एम०आर० केन्द्र पर प्राप्त करना एवं अवशेष अधिप्राप्ति धान संबद्ध निगम क्रय केन्द्र पर प्राप्त करना।
- निगम अपने क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये धान की मिलिंग हेतु संबद्ध मिलों पर पहुँचाने की व्यवस्था।
- प्रतिदिन क्रय केन्द्र पर क्रय किये गये धान एवं मिलों में मिलिंग कराये गये चावल से संबंधित प्रतिवेदन विभाग, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त को भेजना।
- पैक्सों को भुगतान हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं लेखा का संधारण।
- पैक्स को अधिप्राप्ति धान के विरूद्ध समानुपातिक सी०एम०आर० के आधार पर कार्य हेतु नया गन्नी बैग अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराया जायगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी पैक्स को प्राप्त होने वाले गन्नी बैग का लेखा संधारण सुनिश्चित करेंगे।
- आवश्यकतानुसार राज्य के बाहर के मिलों से मिलिंग हेतु व्यवस्था करना।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना।
- अधिप्राप्ति किये गये धान को चावल मिल में पहुँचाने एवं मिल से सी०एम०आर० प्राप्त कर बिहार राज्य खाद्य निगम के सी०एम०आर० गोदाम तक परिवहन कराने हेतु राज्य खाद्य निगम की परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त रखना। अधिप्राप्ति किये गये धान अथवा सी०एम०आर० का परिवहन राज्य खाद्य निगम के परिवहन अभिकर्ता के स्वीकृत दर पर करने में कठिनाई हो तो वैसी स्थिति में अधिप्राप्ति धान / सी०एम०आर० का परिवहन दर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परिवहन समिति में निर्धारण कर परिवहन का कार्य कराया जाना। साथ ही जिला परिवहन समिति द्वारा निर्धारित दर अनुमोदन हेतु राज्य खाद्य निगम मुख्यालय में भेजना ताकि उक्त अनुशंसा के आलोक में धान अधिप्राप्ति हेतु जिलावार परिवहन दर का भुगतान बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा किया जा सके।
- किसानों के द्वारा अथवा पैक्सों के द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति हेतु लाये गये धान का अनलोडिंग एवं वहाँ से अपने बेस गोदाम अथवा मिलिंग हेतु धान मिल तक पहुँचाने तथा मिल से सी०एम०आर० बिहार राज्य खाद्य निगम के सी०एम०आर० गोदाम तक पहूँचाने की जिम्मेवारी बिहार राज्य खाद्य निगम की होगी। इसके लिए बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त संख्या में मजदूरों की व्यवस्था करना एवं स्वीकृत दर पर सुनिश्चित करना।

- पैक्सों द्वारा किसानों से धान क्रय करने के पश्चात उसे राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर धान सूपूर्द करने हेतु राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर Enforcement Officer की प्रतिनियुक्त करना। राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे Enforcement Officer से Enforcement certificate प्राप्त कर लें। पैक्स द्वारा किसानों से खरीदे गये धान से संबंधित कागजात ही राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र प्रभारी को उपलब्ध कराना। किसी भी परिस्थिति में पैक्सों अथवा किसानों को Enforcement certificate देने के लिए बाध्य नहीं करना। अधिसूचित Enforcement Officer निर्गत Enforcement Certificate से संबंधित पंजी का संधारण करेंगे।
- धान अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति को अधिक सुचारू एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए समय–समय पर आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देश निगम अपने वित्तीय एवं प्रशासनिक हित में निर्गत करेगी।

14. <u>अधिप्राप्ति कार्य में सहकारिता विभाग की भूमिका</u>

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्सों का चयन करना।
- खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2014–15 में पैक्स लक्ष्य के विरूद्ध कुल अधिप्राप्त धान में से 4 लाख मे0 टन धान को पैक्स/सहकारिता संचालित मिल में कुटाई (मिलिंग) करके निगम के सी0एम0आर0 केन्द्र पर हस्तगत करायेंगे।
- लगभग 80 प्रतिशत धान की अधिप्राप्ति पैक्स के माध्यम से की जाती है। ऐसी परिस्थिति में पैक्स क्रय केन्द्र पर धान के क्रय के पूर्व निर्धारित मानक के अनुरूप धान की गुणवत्ता की जॉच, प्रत्येक कार्य दिवस को क्रय के पश्चात किसानों को चेक के माध्यम से भुगतान की गई राशि, पैक्स क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति किये गये धान का प्रारंभिक भंडार, प्राप्ति एवं अधिशेष भंडार तथा रोस्टर के अनुसार संबद्ध राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर धान के स्थानान्तरण की सतत निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों यथा प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक इत्यादि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु मापदंड निर्धारित करना।
- पैक्सों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।
- पैक्स धान क्रय केन्द्र का भौतिक सत्यापन प्रत्येक सप्ताह में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में किया जायेगा। भौतिक सत्यापन प्रपत्र पर दो स्थानीय निर्वाचित जन प्रतिनिधि का हस्ताक्षर भी अपेक्षित होगा। सत्यापन का फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी भी होगा।
- धान अधिप्राप्ति कार्य, मिलिंग कार्य एवं सी0एम0आर0 हस्तगत कराना का प्रतिदिन प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना।
- पैक्स को कॉ–ऑपरेटिव बैंक/अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।
- निदेशालय स्तर से जिलों में चल रहे अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना।
- पैक्स अध्यक्षों/प्रबंधकों का अधिप्राप्ति, बैंक संचालन, मिलिंग एवं सी0एम0आर0 जमा करना आदि बिन्दुओं पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना।
- वैसे जिले जहॉ सहकारी बैंक नहीं है वहॉ बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा पूर्व की भॉति वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाय।

- बिस्कोमान के पास उपलब्ध सरंचना यथा गोदाम कार्मिक आदि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को अविलम्ब उपलब्ध कराना।
- पैक्स किसानों से अधिप्राप्त धान को पैक्स के मिल पर अथवा जिला द्वारा चिन्हित मिल पर मिलिंग कराकर निगम के सी0एम0आर0 केन्द्र पर जमा करेंगे तथा अधिप्राप्त धान की राशि के साथ मिलिंग सहित अन्य देय राशि समर्पित अभिश्रव के आधार पर चेक के माध्यम से निगम से प्राप्त करेगा।

15. अधिप्राप्ति कार्य में खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग की भूमिका

- विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे।
- नोडल विभाग की हैसियत से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभिन्न अभिकरणों तथा विभागों के बीच समन्वय का कार्य करना।
- प्रतिदिन सहकारिता विभाग, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम से अधिप्राप्ति से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं मुख्य मंत्री सचिवालय को भेजना।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराना।

16. जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव की भूमिका

- प्रत्येक माह अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं जिलों के प्रभारी मंत्री, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को मंतव्य सहित प्रतिवेदन समर्पित करना।

17. प्रमण्डलीय आयुक्त की भूमिका

- प्रत्येक सप्ताह अपने संबद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं जिलों के प्रभारी मंत्री, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करना।

18. जिला पदाधिकारी की विशेष शक्तियाँ

- प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एव कर्मियों का प्रशासनिक नियंत्रण जिलाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के अधीन होगा। साथ ही धान अधिप्राप्ति एवं सी0एम0आर0 प्राप्ति में जिलाधिकारी पर्यवेक्षण के साथ–साथ अधिक गुरुत्तर जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला पदाधिकारी किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेंगे।

19. स्थानांतरण एवं अवकाश पर प्रतिबंध

- सामान्य रूप से अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इस कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मियों का अवकाश भी स्वीकृत नहीं किया जाय। अत्यन्त आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में स्थानांतरित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी धान अधिप्राप्ति कार्य से जुड़े सभी अभिलेख एवं भंडार का पूर्ण प्रभार सौंप कर ही विरमित होगें।

चूँकि सरकार का यह महत्वकांक्षी कार्यक्रम है एवं राज्य सरकार धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय एवं ऐसी व्यवस्था किया जाय कि राज्य

के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरन्त बाद मिल सके एवं उन्हें अपनी उपज की आलात बिक्री (Distress Sale) समद्ध की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। इस संबंध में किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही एवं शिथिलता को अति गंभीरता से लिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-
19/11/14
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक–प्र04 / ख.वि.अधि.-01/14-8785 खाद्य, पटना / दिनांक– 19/11/14

प्रतिलिपि–सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव / सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/-
19/11/14
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक–प्र04 / ख.वि.अधि.-01/14-8785 खाद्य, पटना / दिनांक– 19/11/14

प्रतिलिपि–प्रशासक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना / प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना / निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
19/11/14
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक–प्र04 / ख.वि.अधि.-01/14-8785 खाद्य, पटना / दिनांक– 19/11/14

प्रतिलिपि–सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृ[illegible] भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
19/11/14
मुख्य सचिव, बिहार